

संख्या ३३४

पत्रावली सं०-j - ३०१५४

दिनांक १५/०२/२०१८



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण  
का  
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या २१,१८६० के अधीन)

संख्या 903 ०७ ०८  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 20

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मार्डन महाविद्यालय

कोछाभांवर, कानपुर रोड, झाँसी (उ०प्र०)


को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

दिनांक २७/०२/२००८ यह प्रमाण-पत्र २७/०२/२०२३ तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक १५/०२ दो हजार को १८

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

डॉ० रोहिन विश्वनाथन  
(प्रबन्धक)

  
सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश।

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : "मार्हन महाविद्यालय"
2. संस्था का पता : कोछामांदर, कानपुर रोड, झाँसी
3. संस्था का कार्य केन्द्र : समूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : संस्था का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण और
- राष्ट्र विकास है, इसकी प्राप्ति हेतु संस्था निम्नवत् उद्देश्यों पर कार्य करेगी—
- (1) समाज के निवेद वर्गों यथा विकलांग, निराकृति, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, बृद्धों, महिलाओं तथा बच्चों के संवर्गीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, संचालन करना तथा इनके पुनर्वास हेतु कार्य करना।
- (2) समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा—बालत्रय, बनधुओं गजदूरी, दैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बालविवाह, मादक द्रव्य असन तथा दहेजप्रथा आदि के उन्मूलन तथा पीढ़ियों के पुनर्वाय
- हेतु कार्य करना।
- (3) अधिकारी के विवाह हेतु समेकित कार्ययोजनाओं का निर्धारण करना, लोधिंग संस्थानों, विद्यालयों, छात्रविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन, रखरखाव तथा प्रीदर्य अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सक्षरता मिशन को सफल बनाया।
- (4) संचालक / नियंत्रकों को स्थापनामूलक हेतु उन्हें तकनीकी शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना तथा दूरभासगार की स्थापना में उनका सहयोग करना।
- (5) गलिन बस्तियों के विकास नागरिकों के पुनर्वास हेतु कार्य करना।
- (6) सामाजिक हित से जुड़े मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करना तथा गरीबों की न्याय तक पहुंच बनाने हेतु उन्हें निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
- (7) अनाथालयों, विघ्नाश्रमों, बृद्धाश्रमों, बालघरों, छात्रावासों, धर्मशालाओं, धर्मस्थलों, व्यायामशाला, वाचनालय, पुस्तकालय तथा दुर्बल वर्गों के लिए आवासों का निर्माण, रखरखाव व संचालन करना।
- (8) कृषि के संरचनात्मक, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार हेतु कार्य करना।
- (9) भूमि के उपचार तथा विकास, जल के संधान, संरक्षण व संवर्द्धन तथा भीमजल पुनर्मीकरण हेतु कार्य करना, कृषि व उद्योगों में जल की बर्बादी की सोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाना तथा की सामाजिक जागरूकता लाना।
- (10) पर्यावरण का अवनयन करने वाले जारकों की पहचान व रोकथाम करना, इस हेतु सामाजिक जागृति लाना, सतत पर्यावरण विकास की स्थापना हेतु घनारोपण घागवानी जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना तथा पर्यावरण मित्र तकनीकों के

सत्य प्रतिलिपि

१००

सहायक रजिस्टर  
कम्सू होसाइटीज एवं निटस  
नॉर्मल सोसायटी

विकास व उपयोग के प्रधार-प्रसार हेतु कार्य करना और इस प्रकार सम्पूर्ण जीव विविधता का संरक्षण व संवर्द्धन करना, सूखाघरस, रेगिस्टरान्ट, जनजातीय तथा पर्वतीय केन्द्रों के समग्र विकास हेतु योजना तैयार तथा संचालन करना।

- (11) रोगियों के उपचार तथा उनके स्वास्थ ले संरक्षण व उन्नयन हेतु स्वास्थ्य संगठनों का गठन व संचालन, उपचार शिविरों, मतिशीलों अस्पतालों तथा स्वास्थ जागरूकता कार्यक्रमों गोष्ठियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना। एडस, कैंसर, पोलियो तथा अन्य संक्रमक व धातक बीमारियों से निपटने हेतु प्रयास नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता हेतु कार्य करना।
- (12) सभी व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास हेतु पुस्तकालयों, याचनालयों, व्यायामशालाओं की स्थापना व संरक्षण, परिवर्धा गोष्ठियों, वाद-विवाद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं तथा योग शिविरों का आयोजन करना।
- (13) प्राकृतिक व दुर्जनाजन्य आपदाओं के प्रबन्धक हेतु कार्य योजना तैयार करना, राहत कार्यक्रमों, भूमध्यस्थ कार्यक्रमों तथा यैरिटी पार्ट्सों की स्थापना तथा संचालन करना।
- (14) विभिन्न प्रकार के संरक्षण कार्यों, शोध कार्यों, जागरूकता कार्यों का सम्बन्ध करना, शिक्षा क्षेत्र तथा सांघर्ष के बढ़ावा देना।
- (15) ऊर्जा के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु कार्य करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा इनसे प्रयोग की बढ़ावा देना।
- (16) स्वरूप लोकतंत्र के विकास और संरक्षण हेतु कार्य करना, जागरूकता लाना।
- (17) समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं और यूनीसेफ, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित लोक कल्याण कार्यक्रमों के संचालन, प्रसारण व कार्यान्वयन में सहयोग करना।
- (18) बालक/बालिकाओं को सर्वोन्नति विकास हेतु समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना तदार्थ प्रोत्साहित करना।
- (19) महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना जिससे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सदृढ़ हो सके।
- (20) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय विभागों नियमों द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं को संचालन करना।
- (21) बालक/बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई, मुनाई कलाई के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, जिससे समाज में कैली कुरीतियों को दूर किया जा सके।
- (22) इस समिति द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु ईसाई धर्म के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी फिर और धर्मों को।

२०१० सत्य प्रतिलिपि

महायक राजभूमि

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र.सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय	जाति
1	कॉर्प्टन ए० विश्वनाथन	ओकनबाग झासी	अध्यक्ष	सेवानिवृत्त	इसाई
2	श्रीमती शान्ति डेविल	ई०एम०ई० कॉलोनी, अहमदनगर	उपाध्यक्ष	अध्यापिका	इसाई
3	डॉ रोहिन विश्वनाथन	सी०आ०ई०री० कैम्पस, झासी	प्रबन्धक	अध्यापक	इसाई
4	श्रीमती अनिश्चिता लाल	1045, सिविल लाइन्स, झासी	उपप्रबन्धक सहायक कार्यालय	अध्यापिका	इसाई
5	श्रीमती नलनी राय	सिविल लाइन्स, झासी	कार्यालय	अध्यापिका	इसाई
6	श्रीमती चिन्मया पुर्णि	नगरा झासी	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
7	श्रीमती रोचल बेना	सिविल लाइन्स, झासी	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
8	श्रीमती अनीता लाल	ओकनबाग, झासी	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
9	श्रीमती फिलोमिना वालिस	स्टेशन रोड, ललितपुर	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
10	श्रीमती उर्वशी लाल	क्रिंश्यन गज अजमेर	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
11	श्रीमती शीला हिंदाले	सीपरी बाजार, झासी	सदस्य	अध्यापिका	इसाई
12	श्रीमती गुर्जी बर्गास	147, आजादपुरा, ललितपुर	सदस्य	अध्यापिका	इसाई

6. हम अद्योलिखित हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं, कि हमने इस स्मृतिपत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सांसायटी रजिस्ट्रेशन एवं 1880 के अन्तर्गत एक समिति का मठन किया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रर

## नियमावली

1. संस्था का नाम : "मार्डन महाविद्यालय"
2. संस्था का पता : कोचामांवर, कानपुर रोड, झासी
3. संस्था का कार्य केन्द्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का सदस्यता : कोई भी व्यक्ति जो संस्था की नियमों में विशेष रख़ित है, प्रस्ताव हो, स्वरूपित हो तथा किसी भी भारतीय विधि द्वारा स्पष्ट रूप से संस्था की सदस्यता हेतु निहर घोषित न किया गया हो, सचिव को लिखित प्रार्थना पत्र तथा यथोचित सदस्यता शुल्क देकर सदस्यता घण्टण कर सकता है।
5. सदस्यों के दर्द : संस्था में निम्नवत् प्रकार के सदस्य होंगे—

1. संस्थापक सदस्य— स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य संस्थापक सदस्य होंगे और इनकी सदस्यता आजीवन होगी।

2. संरक्षक सदस्य— संस्था के कार्यों में मन, वधन और कर्म से सहयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो संस्था को स्वेच्छा से ₹ 2000/- अथवा इससे अधिक वा अधिक राशि प्रदान करते हैं, संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जा सकेगा और इनकी सदस्यता सामान्यतया आजीवन होगी।

  
विशेष सदस्य— संस्था के उददेश्यों के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्तियों को जो संस्था को ₹ 100/- का दान देते हैं। संस्था का विशेष सदस्य बनाया जा सकेगा और सामान्यतया इनकी सदस्यता पाच वर्ष की होगी।

3. अतिरिक्त सदस्य— ऐसे व्यक्तियों को जो संस्था की बैठकों में शामिल होने में असमर्थ है, संस्था का अतिरिक्त सदस्य बनाया जा सकेगा और इसके लिए ₹ 500/- का सदस्यता शुल्क अनिवार्य होगा। इनकी सदस्यता सामान्यतया पाच वर्ष की होगी। गणपूर्ति तथा भतदान के उददेश्यों से इन्हें सदस्यों में ही गिना जायेगा, किन्तु इससे इनकी सदस्यता प्रभावित नहीं होगी।

4. समान्य सदस्य— संस्था को ₹ 100/- दान करने वाले व्यक्तियों को सामान्य सदस्य बनाया जा सकेगा। इनकी सदस्यता सामान्यतया एक वर्ष होगी।

5. सदस्यता का निलम्बन तथा समाप्ति :

जानवृत्ताकर और निरंतर संस्था के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर सदस्यों की सदस्यता निलम्बित की जा सकेगी।

सदस्यों की मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने, नागरिकता में परिवर्तन होने, त्यागपत्र देने अथवा व्यरित संभी अपराध में दण्डित होने की दशा में सामान्य लना के बहुमत से जिसमें संस्थापक सदस्यों को दो तिहाई सकारात्मक भत भी शामिल होंगे, किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त आदारों पर अथवा नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने अथवा तीन बैठकों में लगातार अनुपरिधत रहने पर विशेष सदस्यों तथा सामान्य सदस्यों की सदस्यता सामान्तर लना के साधारण बहुमत द्वारा भी समाप्त की जा सकेगी।

२५/६/५० सत्य प्रतिलिपि

*for*  
सहायक रजिस्टर

मर्म होमाइटीज पार्क चिट्ठा

7. सरका के अंग

1. सामान्य तथा

8. सामान्य तथा

2. प्रबन्धकारिणी समिति

गठन—अतिथि सदस्यों को छोड़कर सरका के सभी सदस्यों से मिलकर सामान्य सभा का गठन होगा।

'बैठक'—सामान्य बर्ष में दो बैठकें होगी, किन्तु साधिव द्वारा विशेष सूचना देकर इसे कभी भी आहूत किया जा सकेगा।

सूचना अवधि—सदस्यों को सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

गणपूर्ति—इस हेतु 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन्तु गणपूर्ति के अन्वय में रथगित हो जाने के बाद पुन आहूत की गई बैठक के लिए गणपूर्ति का प्रतिबंध नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में सदस्यों का मत डाक, फैक्स तथा ई-मेल द्वारा भी प्राप्त किया जा सकेगा और वह विधिक रूप से लागू होगा।

प्रतीक्षिया—कोई भी प्रस्ताव सामान्य मामलों में सामान्य सभा के साधारण बहुमत द्वारा काया विशेष मामलों में सामान्य सभा के ऐसे साधारण बहुमत द्वारा जिसमें संख्यापक सदस्यों के दो तिहाई सकारात्मक मत भी शामिल ही पास किया जा सकता। कोई मामला सामान्य है अथवा विशेष इस बात का निर्धारण संविधि करता।

अधिवेशन की तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा बहुमत से तय की जायेगी।

9. सामान्य सभा के अधिकार और कर्तव्य :

प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

सरका का वार्षिक बजट पास करना।

अनुष्ठानी समितियों का गठन, अधीक्षण और समाप्त करना।

सरका की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

किसी सदस्य को संस्थापक सदस्यों द्वासे प्राप्तिप्रदान करना।

सरका की नियमावली में संशोधन करना।

यह सरका के समरत कार्यों को करने तथा संचालित करने हेतु एक पूर्ण उत्तरदायी निकाय है जिसमें कुल 12 सदस्य होंगे जिनमें से बहुमत के अधार पर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबंधक, एक उपप्रबंधक तथा एक कोषाध्यक्ष का इयन किया जायेगा, जिनका कार्यकाल सामान्यतः पांच बर्ष का होगा।

## सत्य प्रतिलिपि

20/10/2016

भारतीय राजस्वार  
कम्स मोसाइटीज एवं निदेश  
उप्र० ज्ञासी

प्रबन्धकारिणी समिति में कम से कम पांच संस्थाक सदस्यों का निर्वाचन अनवार्य होगा।

बैठक—सामान्यतः वर्ष में 4 बैठकें होंगी। विशेष बैठक सचिव द्वारा कभी भी आहूत की जा सकेगी।

गणपूर्ति—कुल संख्या का 2/3 गणपूर्ति हेतु अपेक्षित होगा।

सूचना अधिकारी—सामान्य बैठक 5 दिन की पूर्व सूचना पर तथा विशेष बैठक 2 दिन की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

#### 11. प्रबन्धकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :

संस्था के जम्पूर्ण कार्यभार का उत्तरदायित्व ग्रहण करना।

संस्था के कार्यक्रमों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना।

संस्था के लिए धन आदि का संग्रह करना, हिसाब—किताब रखना, संस्था की संस्थानीति का रखरखाव करना, बजट बनाना तथा उसको सांचारण सभा से स्वीकृत करना।

वायेदनकार्यालयों को नियमानुसार संस्था की सदस्यता प्रदान करना।

वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा विनियुक्ति करना। ऐसे सभी दायित्वों की नियुक्ति करना जो सामान्य सभा, संरकार, समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रबन्धकारिणी पर पातित हों, जास्तीय गये हों।

#### 12. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष—सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना, बैठकों की स्थगित करना, समान मत होने की दशा में निर्णयिक मत देना, बैठक में व्यवस्था बनायें रखना तथा संस्था के व्यय को स्थीकृत करना।

उपाध्यक्ष—अध्यक्ष की अनपरिथिति में अध्यक्ष के सभी कार्य करना।

प्रबंधक—संस्था की ओर से मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

संस्था के अभिलेखों, खातों तथा पत्रावलियों का रखरखाव करना, संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना, अध्यक्ष के निर्देशों से सामान्य बैठक बुलाना तथा सूचना देना, आकर्मिकता की दशा में विशेष बैठक आहूत करना। पक्ष—विपक्ष के मुकदमों की प्रेरणा करना, विल वाउचर, चैक आहरण पत्र, नियुक्ति पत्र तथा वाद पत्र आदि पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। संस्था की समस्त भौतिक रूपी सम्पत्ति पर प्रबंधक का पूर्ण अधिकार होगा। संस्था के कार्यों को चलाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना उनकी सेवा नियम बनाना। संस्था की ओर से बैंक खातों का संचालन करना व भुगतान करना। संस्था की कार्यकारिणी समिति पास नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों में रखना निकालना संस्था के सभी वाउचरों को मंजूर करना। संस्था के हितार्थ सरकारी अर्द्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं व व्यवित से सहायता अनुदान प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

23/11/10

मान्दायक राजेश

फैसल सोसाइटी एवं निट्स

उपप्रबंधक— प्रबंधक की अनवरिथिति में प्रबंधक के सभी कार्य करना।  
 कोषाध्यक्ष— संस्था हेतु संग्रहित धन का विवरण एवं लेखा-जाखा रखना।  
 संस्था के वार्षिक आय-व्यय, तुलन पत्र आदि प्रस्तुत करना एवं हस्ताक्षरित करना। संस्था के दैनन्दिन कार्यों के लिए रु 5000/- तक की धनराशि नकद रूप रखना।

13. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

नियमावली में संशोधन संस्थापक सदस्यों के 2/3 बहुमत से युक्त सामान्य के साथारण बहुमत द्वारा किया जायेगा।

14. संस्था का कोष

नियमानुसार बैंक या ढाकघर में जमा होगा। अध्यक्ष या प्रबन्धक के

हस्ताक्षरों से संबंधित होगा।

15. संस्था के आय-व्यय

प्रतिवर्ष सूक्ष्म, आडीटर/चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

16. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही की संवालन का उत्तरदायित्व

उत्तरदायित्व प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दार्शन किया जायेगा।

17. संस्था

मार्केट अधिकारी, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि सचिव के पास रहेंगे तथा वह नियमानुसार उनका रखारखाय करेगा।


18. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

### सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धकारिणी के 3 सदस्यों के हस्ताक्षर

दिनांक :

1.   
S. David

2.   
S. David

3.   
S. David 23/11/10

सत्य प्रतिलिपि

महायक राजस्तान  
 राज्य सामाजिक एवं निटस  
 उप्र० शासी